

- 13- जनपान गृह- 02 का ठेका होने पर ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का ई0पी0एफ0/ई0एम0आई0 आदि कटौती सम्बन्धित एक्ट के अधीन किये जाने का दायित्व ठेका संचालक का होगा। ठेका संचालक द्वारा लगाये गये कर्मचारी परिवहन निगम के नहीं माने जायेंगे तथा किसी भी नाबालिग/अवयस्क को स्टालों पर कार्य में नही लगाये जा का लिखित आश्वासन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 14- निविदा फार्म मूल्य रू0 200.00 + जी0एस0टी0 जिसकी वापसी नहीं होगी का डी0डी0 जो rm upsrtc lucknow पक्ष में देय होगा तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क का ड्रफ्ट हार्ड कापी के साथ संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 15- निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के आधार पर एक माह की धनराशि का बैंक ड्रफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ (rm upsrtc lucknow) के नाम बनवाकर निविदा में अपलोड करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की हार्ड कापी के साथ समस्त अभिलेखों सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में उपस्थित होकर प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
- 16- निविदा प्रपत्र के साथ स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु जनपदीय मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिए रू0 10,000/- तथा इससे भिन्न स्टेशनों हेतु रू0 2000/- अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्रफ्ट निविदा पत्र पर अपलोड कर दिया जायेगा। निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या 1118रोपी/15-177एफए/01कानपुर-11 दिनांक 05.11.2015 के अनुपालन में रू0 10,000/- व 2000/- का ड्रफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
- 17- प्रत्येक स्टाल के लिये पृथक-पृथक निविदा ई-टेंडर के माध्यम से अपलोड करनी होगी।
- 18- समिति द्वारा स्वीकृत स्टाल हेतु स्टाल की उपलब्धता एवं अपेक्षितता का निर्णय सक्षम समिति का ही मान्य होगा।
- 19- समय-समय पर उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
- 20- उ0प्र0 परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न स्टालों सम्बन्धी नियमावली 2009 एवं निगम मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 1543एफए/02-177एफए/01 दिनांक 25 जुलाई 2009 के अनुसार ही स्टालों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21- स्वच्छता के दृष्टिगत मूंगफली के दानों को ड्रेडक में मूंगफली की बिक्री प्रारम्भ नहीं करनी रहेगी।
- 22- वर्तमान में बस स्टेशन चारबाग में नानवेज स्टाल संचालित है। अतः पूर्व नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2015 के अनुसार संचालित नानवेज स्टाल के एग रोला, थामलेट, रोस्टेड चिकन, चिकन टिक्का, मटन टिक्का एवं नानवेज बर्गर इत्यादि नानवेज का विक्रय जलपान पत्र संख्या 01 नहीं कराया जायेगा।
- 23- आलमबाग बस स्टेशन का नया निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर बस स्टेशन चारबाग का कुछ संचालन आलमबाग बस स्टेशन शिफ्ट होने के दृष्टिगत जनपान गृह- 02 स्टाल की समस्त अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है तथा इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत चारबाग बस स्टेशन से सम्बन्धित स्टालों का संचालन केवल चारबाग बस स्टेशन हेतु ही मान्य होगा।
- 24- इच्छुक निविदाकर्ता जो लिफाफे में अपनी बids प्रस्तुत करेंगे। प्रथम तकनीकी व द्वितीय फाइनैन्सियल लिफाफे में से पहला लिफाफे में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रस्ताव पत्र/प्रस्तावेजों इत्यादि की प्रतियां रखे। सभी अभिलेख एवं उपरोक्त शर्तें पूर्ण होने पर ही द्वितीय लिफाफा (फाइनैन्सियल) खोला जायेगा अन्यथा शर्तें पूरी न करने वाले निविदाकर्ताओं को फाइनैन्सियल बिड के लिफाफे को अस्वीकार करते हुये वापस कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आम अनुरोध के साथ कि नीलामी को नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने का कष्ट करें:-

- 1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआइएम/विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- सहायक प्रबन्धक(ई0एम0आई0), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
- 6- सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 7- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराये।
- 8- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 9- कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 11- नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

 क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

 क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।